न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 24/2023
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/26

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड पता–ई 145 सैकण्ड एवं थर्ड फलौर, रमेश मार्ग, अपोजिट सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. सूर्योदय ट्रेडर्स जरिये प्रापराईटर अमित जैन, पता रोड नंबर 1 प्रगति नगर, कॉलेज रोड, बांसवाडा प्लांट नं 58 अगरपुरा ईस्ट प्लाट नं. 59 वेस्ट बांसवाडा एवं सूर्योदय ट्रेडर्स, प्रगति नगर–22 सुर्यानन्द नगर बांसवाडा (ऋणी)
2. श्री चंद्र प्रकाश पुत्र श्री सुन्दर लाल, पता–22, सुर्यानन्द नगर, बांसवाडा (सहऋणी)
3. श्रीमती रूची जैन पत्नी श्री आतिश जैन पता–22, सुर्यानन्द नगर, बांसवाडा (सहऋणी)
4. श्रीमती स्वेता जैन पत्नी श्री अमित जैन पता–22, सुर्यानन्द नगर, बांसवाडा (सहऋणी)
5. श्री आतिश कुमार जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन पता–22, सुर्यानन्द नगर, बांसवाडा (सहऋणी)
6. श्री अमित जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन रोड नं 1 प्रगति नगर कॉलेज रोड बांसवाडा एवं सूर्योदय ट्रेडर्स, प्रगति नगर, बाहुबली कॉलोनी रोड, अपोजिट आदित्य गेलेक्सी, बांसवाडा (सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का [illegible]करण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक [illegible]–02–2023

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड पता–ई 145 [illegible]कण्ड एवं थर्ड फलौर, र[illegible], अपोजिट सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1– सूर्योदय ट्रेडर्स जरिये

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रापरईटर अमित जैन, पता रोड नंबर 1 प्रगति नगर, कॉलेज रोड, बांसवाडा प्लांट नं 58 अगरपुरा ईस्ट प्लाट नं. 59 वेस्ट बांसवाडा एवं सूर्योदय ट्रेडर्स, प्रगति नगर–22 सुर्यानन्द नगर बांसवाडा (ऋणी) 2– श्री चंद्र प्रकाश पुत्र श्री सुन्दर लाल, पता–22, सुर्यानन्द नगर, बांसवाडा (सहऋणी) 3– श्रीमती रूची जैन पत्नी श्री आतिश जैन पता–22, सुर्यानन्द नगर, बांसवाडा (सहऋणी) 4– श्रीमती स्वेता जैन पत्नी श्री अमित जैन पता–22, सुर्यानन्द नगर, बांसवाडा (सहऋणी) 5– श्री आतिश कुमार जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन पता–22, सुर्यानन्द नगर, बांसवाडा (सहऋणी) 6– श्री अमित जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन रोड नं 1 प्रगति नगर कॉलेज रोड बांसवाडा एवं सूर्योदय ट्रेडर्स, प्रगति नगर, बाहुबली कॉलोनी रोड, अपोजिट आदित्य गेलेक्सी, बांसवाडा (सहऋणी) को दिनांक 06–05–2018 को राशि रुपया 20,00,000 (अक्षरे बीस लाख रुपये मात्र), दिनांक 10.09.2021 को 2,31,000 (दो लाख इकत्तीस हजार) कुल राशि 22,31,000 (बाईस लाख इकत्तीस हजार) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 04–12–2021 को अक्रियान्वित आस्ति (एन.पी.ए.) में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 11–01–2022 को कुल बकाया राशि 21,11,273.36 रू. (इक्कीस हजार ग्यारह हजार दो सौ तिहत्तर रुपये छत्तीस पैसे) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में अप्रार्थीगण द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण एक अचल सम्पत्ति प्लॉट नंबर 58, आराजी सर्वे नंबर 1697, 1698, 1699, 1700, 1709, 2786/1838/1701, पट्टा नंबर 88/2/21998, कनवर्जन ऑर्डर नबर 97/523–27/27/12/1997, अगरपुरा, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में भूखण्ड सं. 59, पश्चिम में रोड 25 फीट, उत्तर में भूखण्ड सं. 57, दक्षिण में मौके अनुसार रोड है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/सहऋणी के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त 2016 के अनुसार प्रार्थी एच.डी.पी फाईनेंशियल लिमिटेड को केन्द्रीय ... वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का ...) की धारा 31 क के साथ पठित धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (...) ... संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested

एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 14–01–2022 को ऋणी / अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 20.01.2023 को जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 के नोटिस चस्पा होकर बाद तामील रिर्पोट के साथ दिनांक 17.02.2023 को प्रस्तुत हुए। समस्त अप्रार्थीण दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे हैं। ऋणी/अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 को बार बार रुक रुक कर सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 6 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी / अप्रार्थीगणो द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड पता–ई 145 सैकण्ड एवं थर्ड फलौर, रमेश मार्ग, अपोजिट सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/ वित्तिय संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 17–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)